रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 1992/फाल्गुन 15, 1913
No. 105] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 1992/PHALGUNA 15, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1992

सा.का.नि. 311(अ):—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर नियम, 1978 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर संशोधन नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर नियम, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 4 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(2) यदि उपभोक्ता उपनियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप 1क में एक सूचना जारी करेगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 6 में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु कोई उपभोक्ता रिबेट का हकदार नहीं होगा, यदि वह—

(क) इन नियमों से संलग्न पहली अनुसूची के स्तम्भ (3) में, उसके स्तम्भ (1) में दिये गये विनिर्दिष्ट उद्योग से संबंधित स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उद्योगों के प्रवर्ग के लिये, विनिर्दिष्ट अधिकतम से अधिक मात्रा में जल का उपभोग करता है, या

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25 के उपबन्धों में से किसी का या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित मानकों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है।"

4. उक्त नियमों में, "प्ररूप 1 के उपाबन्ध" के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 1क"

[नियम 4(2) देखिए]

बोर्ड का नाम :

सं. तारीख

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) की धारा 5(2) के अधीन सूचना

सेवा में,

उपभोक्ता का नाम और पता :

निर्धारण अवधि :

आपसे, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर नियम, 1978 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (1977 का 36) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा-उपबन्धित एक विवरणी—मास की 5 तारीख तक देने की अपेक्षा की गई थी;

आप उक्त तारीख तक विवरणी देने में असफल रहे हैं :

अत:, अब, आपसे इस सूचना के प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है ;

यदि सात दिन की उक्त अवधि के भीतर कोई विवरणी प्राप्त नहीं होती है, तो आपके विरुद्ध विधि के अनुसार कोई अन्य विधिक कार्रवाई आरम्भ करने के अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1क) के अनुसार निर्धारण करने के लिये एकपक्षीय कार्रवाई की जायेगी।

स्थान :—————————— जारी करने वाला प्राधिकारी

तारीख :—————————— नाम:——————————

पता :——————————

5. उक्त नियमों में फार्म-II के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

("अनुसूची"

(नियम 6 देखिए)

उद्योग का नाम	प्रवर्ग	जल की अधिकतम मात्रा
(1)	(2)	(3)
1. लौह धातुकर्म	समाकलित लोहा तथा इस्पात	प्रति टन परिकल्पित इस्पात के लिये 20 घन मीटर।
2. अलौह धातुकर्म	(क) ताम्र-प्रगालक	प्रति टन उत्पादित ताम्र के लिये 100 घन मीटर ।
	(ख) जिंक प्रगालक	प्रति टन उत्पादित जिंक धातु के लिये 50 घन मीटर।
3. रसायन	(क) कास्टिक सोडा	
	(1) पारा सेल प्रसंस्करण	प्रति टन उत्पादित कास्टिक सोडा (शीतलन जल को छोड़कर) के लिये 5 घन मीटर और शीतलन जल के लिये प्रति टन उत्पादित कास्टिक सोडा के लिये 5 घन मीटर।
	(2) झिल्ली सेल प्रसंस्करण	प्रति टन कास्टिक सोडा के लिये 5 घन मीटर जिसमें शीतलन जल भी शामिल है।
4. कपड़ा	(क) मानव निर्मित रेशा	
	(1) नाइलान और पालिएस्टर	प्रति टन उत्पादित रेशे के लिये 170 घन मीटर।
	(2) विस्कोस रेयन	प्रति टन उत्पादित रेशे के लिये 200 घन मीटर।
5. कागज	(क) लघु लुगदी और कागज	
	(1) कृषि अवशेष पर आधारित	प्रति टन कागज के लिये 200 घन मीटर।
	(2) अपशिष्ट कागज पर आधारित	प्रति टन कागज के लिये 75 घन मीटर।

(1)	(2)	(3)
	(ख) मूल्य लुगदी और कागज : --	
	(1) लुगदी और कागज	प्रति टन कागज के लिये 250 घन मीटर।
	(2) रेयान श्रेणी लुगदी	प्रति टन कागज के लिये 200 घन मीटर।
6. उर्वरक	(क) ऋजु नाइट्रोजनीय उर्वरक	प्रति टन या समतुल्य उत्पादित यूरिया के लिये 15 घन मीटर।
	(ख) ऋजु फास्फैटिक उर्वरक (एकल सुपर फास्फेट और त्रिगुण सुपर फास्फेट, किसी अम्ल के विनिर्माण को छोड़कर)	प्रति एकल सुपर फास्फेट/त्रिगुण सुपर फास्फेट के लिये 2 घन मीटर
	(ग) सम्मिश्र उर्वरक	यदि प्रधान उत्पाद नाइट्रोजनीय उर्वरक है तो प्रति टन 15 घन मीटर और यदि प्रधान उत्पाद फास्फेट उर्वरक है तो प्रति टन 2 घन मीटर।
7. पशु या वनस्पति उत्पादों का प्रसंस्करण उद्योग जिसके अन्तर्गत दूध, मांस, चमड़ा और खाल, सभी कृषि उत्पाद और उनके अपशिष्ट भी आते हैं।	(क) चर्म-शोधन शालाएं	प्रति टन कच्चे चमड़े के लिये 30 घन मीटर।
	(ख) प्राकृतिक रबर	प्रति टन रबर के लिये 6 घन मीटर।
	(ग) स्टार्च, ग्लूकोज और संबंधित उत्पाद	प्रति टन पिसे मक्का के लिये 10 घन मीटर।
	(घ) डेरी	प्रति किलोलीटर प्रसंस्कृत दूध के लिये 4 घन मीटर।
	(ङ) जूट	प्रति टन प्रसंस्कृत जूट के लिये 1.5 घन मीटर।
	(च) चीनी	प्रति टन पेरे गये ईख के लिये 2 घन मीटर।
	(छ) माल्ट्री	प्रति टन प्रसंस्कृत खाद्यान्न के लिये 8.5 घन मीटर।
	(ज) निसवनी	प्रति किलोलीटर उत्पादित बियर के लिये एक घन मीटर।
	(झ) मद्य निर्माणशाला	प्रति किलोलीटर उत्पादित अल्कोहल के लिये 15 घन मीटर

[सं. 1/14/91-पी एल-सीपीए]

न. बागची, निदेशक (प्रदूषण नियंत्रण)

पाद-टिप्पण :--मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 378(अ), तारीख 24 जुलाई, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1992

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977), the Central Government hereby make the following rules to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Rules, 1978, namely :

1. (1) These rule may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Water (Prevention & Contol of Pollution) Cess Rules, 1978 (hereinafter referred to a the said rules), rule 4 shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so re-numbered, the following sub rule shall be inserted, namely :—

"(2) If the Consumer fails to submit the return as specified in sub-rule (1) the assessing authority or the officer authorised in this regard shall issue a notice in Form IA".

3. In the said rules, in rule 6, the following provision shal be added at the end namely :

"Provided that a consumer shall not be entitled to the rebate if he :

(a) Consumes water in excess of the maximum quantity specified in column (3) of the First Schedule appended to these rules for the category of industries specified in the corresponding entry in column (2) relating to the specified industry given in column (1) thereto, or

(b) Fails to comply with any of the provisions of section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Ac, 1974 (6 of 1974) or any of the standards laid down by the Central Govt., under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)".

4. In the said rules, after Annexure to Form I, the following form shall be inserted, namely :

"FORM IA

[See rule 4(2)]

Name of the Board:

No. Dated :

Notice under Section 5(2) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977)

To

Name and Address of the Consumer :

Assessment period :

Whereas you were required to furnish a return as provided under sub-section(1) of Section 5 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act. 1977 (36 of 1977) read with sub-rule (1) of rule 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution Cess Rules 1978, by the 5th of———————

And whereas you have failed to furnish the return by the said date :

Now, therefore, you are hereby called upon to furnish the return within 7 days from the date of receipt of this Notice.

In case no return is received within the said period of 7 days, action will be taken for making assessment as per sub section (1A) of section 6 of the aforesaid Act, ex-parte. besides initiating any other legal action as per law against you.

Issuing authority

Place :

Name: ———————

Date:

Address———————

5. In the said rules, after form II, the following schedule shall be added namely :

SCHEDULE

(See rule 6)

Sl. No.	Name of Industry	Category	Maximum quantity of Water
1	2	3	4
1.	Ferrous Metallurgical	Integrated Iron & Steel	20 Cubic metres per tonne of finished steel.
2.	Non-ferrous Metallurgical	(a) Copper Smelters.	100 Cubic metres per tonne of copper produced.
		(b) Zinc Smelters	50 Cubic metres per tonne of Zinc metal produced.
3.	Chemical	(a) Caustic Soda	
		(i) Mercurry cell process.	5 Cubic metres per tonne of caustic soda produced (excluding cooling water) and 5 cubic metres per tonne of caustic soda produced for cooling water.
		(ii) Membrane Cell Process.	5 Cubic metres per tonne of caustic soda including cooling water.
4.	Textile	(a) Manmade fibre.	
		(i) Nylon & Polycster.	170 Cubic metre per tonne of fibre produced
		(ii) Viscose rayon	200 Cubic metre per tonne of fibre produced
5.	Paper	(a) Small Pulp and paper.	
		(i) Agro-residue based	200 Cubic metre per tonne of paper.
		(ii) Waste paper based.	75 Cubic metre per tonne of paper
		(b) Large Pulp & Paper:	
		(i) Pulp and Paper	250 Cubic metre per tonne of paper.
		(ii) Rayon grade pulp	200 Cubic metre per tonne of paper

1	2	3	4
6. Fertilizer		(a) Straight nitrogerous fertilizer.	15 Cubic metre per tonne of urea or equivalent produced.
		(b) Straight phosphatice fertilizer (single super phosphate and Triple super phosphate) excluding manufacture of any acid.	2 cubic metre per tonne of Single Super Phosphate/Triple super phosphate.
		(c) Complex Fertilizer.	15 cubic metre per tonne in case the primary product is a nitrogenous fertilizer and 2 cubic metre per tonne in case the primary product is a phosphatic fertilizer.
7. Processing of animal or vegetable products industry including processing of milk meat, hides, and skins all agricultural products and their waste.		(a) Tanneries	30 cubic metre per tonne of raw hide.
		(b) Natural rubber	6 cubic metre per tonne of rubber.
		(c) Starch, glucose and related products	10 cubic metre per tonne of maize crushed,
		(d) Dairy	4 cubic metre per kilo litre of milk processed.
		(e) Jute.	1.5 cubic metre per tonne of jute processed.
		(f) Sugar	2 cubic metre per tonne of cane crushed.
		(g) Maltry	8.5 cubic metre per tonne of grain processed.
		(h) Brewery	1 cubic metre per kilo litre of beer produced
		(i) Distillery	15 Cubic metre per kilo litre of alcohol produced.

[Mo.1(14)/91-PL/CPA]
N. BAGCHI, Director Control Pollution

Foot Note:—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide Notification G.S.R. 378(E) dated the 24th July, 1978.

601 GI/92—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992